न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12 / 164 / 2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री चुन्नीलाल पुत्र हीरालाल, नि0 मौहल्ला चाकर वाटी, खादी आश्रम के पास तिजारा रोड, किशनगढबास, जिला–अलवर (राज.)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 31.10.18

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 22.11.18

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 24.09.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अन्य व्यक्ति जोहरसिंह, सुरेन्द्रसिंह पुत्रान दीपचन्द व मनीष पुत्र जोहरसिंह तीनों व्यक्तियों के जाति प्रमाण–पत्र मय पटवारी रिपोर्ट तथा राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित सभी जातियों की प्रति उपलब्ध कराने की बिन्दुवार वांछा प्रत्यर्थी से की गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 26.10.18 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है एवं वांछित सूचना अतिशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः विविध / 2018 / 27–28 दिनांकः 12.11.18 के माध्यम से नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रत्यर्थी की ओर से प्रेषित अपीलोत्तर का परीक्षण किया।
8. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील प्रार्थना–पत्र दिनांकः 26.10.18 में वर्णित प्रथम आवेदन दिनांकः 24.09.18 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन में वांछित जानकारी अस्पष्ट एवं अपूर्ण है। अपीलार्थी द्वारा संबंधित वांछित जाति प्रमाण–पत्र प्रति हेतु अभ्यर्थियों के ग्राम का नाम जाति आदि व पूर्ण जानकारी लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराई गई है। पूर्ण जानकारी विवरण उपलब्ध कराने हेतु प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पत्रांकः विविध / 2018 / 23 दिनांकः 19.10.18 व विविध / 2018 / 24 दिनांकः 19.10.18 के माध्यम से सूचित भी किया गया जो उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन के बिन्दु सं. 1 पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। बिन्दु सं. 2 में वांछित प्रति प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है।
9. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित प्रतीत होता है। प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो वांछित जानकारी के संबंध में पूर्ण, सुस्पष्ट विवरण के साथ लोक सूचना अधिकारी को पृथक से आवेदन प्रस्तुत करे।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित ।

(ओ. पी. जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)